missioner's Office in Calcutta recently; and

(b) whether Government have reasons to believe that those papers contained any plan of large-scale internal sabotage and subversion in the country by creating communal tension?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) There are some reports to this effect.

(b) It is not known if the papers burnt contained any plan of sabotage or subversion in the country.

माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी शिक्षा

1607. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने पश्चिम और पूर्व यूरोप में माध्यमिक स्कूलों में दी जाने वाली तकनीकी शिक्षा का अध्ययन किया है;

(ख) क्या देश में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्रियान्विति के लिये माध्यमिक स्कूलों के अधिक से अधिक छात्रों को तकनीकी आधार वाली शिक्षा देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री भु० क० चागला) : (क) से (ग). इस समय शिक्षा आयोग इस मामले पर विस्तार से विचार कर रहा है।

शिक्षा आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार पूरे प्रश्न पर विचार करेगी।

दिल्ली में भूमि के दाम

1608. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भूमि के दाम दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं और मकानों के किराये भी बहुत बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में, विशेषत: किराये को बढ़ने से रोकने के लिये, क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) कुछ बस्तियों के कुछ बिक्री पत्रों के अध्ययन के आधार पर पता चला कि दाम नीचे की ओर गए हैं और कुछ बस्तियों में ऊपर की ओर। दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अधीन किरायों पर नियंत्रण है। किसी स्थान के अनुपात में उस का प्रमाप-भाड़ा (स्टेन्डर्ड रेन्ट) अधिनियम की धारा 6 के अधीन निर्धारित किया जाता है। नवनिर्मित मकानों के शुरू के 5 साल के किराये को उन का प्रमाप-भाड़ा (स्टेन्डर्ड रेन्ट) माना जाता है।

(ख) भूमि के दामों में सट्टेबाजी बन्द करने के लिए सरकार पहले ही बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन और विकास की योजना को क्रियान्वित कर रही है जिस का ब्यौरा 23-3-1961 और पी० जी० देब द्वारा नियम 197 के अधीन दिए गए नोटिस के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रखा गया था। दिल्ली में किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 लागू है।